परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

राज्य रूपरेखा

क सामान्य आंकड़े

क्रमांक	विवरण		आंकड़े
1.	क्षेत्र		55673/वर्ग किमी
2.	जनसंख्या		
	क	2001	0.61 करोड़
	ख	2011	0.69 करोड़
3	(क) जनसंख्या की सघनता (2001) (अखिल भारतीय सघनता=325 व्यक्ति/वर्ग किमी)* (ख) जनसंख्या की सघनता (2011) (अखिल भारतीय औसत=382 व्यक्ति/वर्ग किमी)*		109 व्यक्ति/वर्ग किमी 123 व्यक्ति/वर्ग किमी
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत= 27.5%)*		10%
5	(क) साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत= 64.8%)* (ख) साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत= 74%)*		76.50% 83.78%
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12		₹63084 करोड़
7	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (2002-03 से 2011-12)		14.74%

ख वित्तीय आंकड़े

	संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (2002-03 से 2011-12)		
	क	राजस्व प्राप्तियां	14.80%
	ख	कर राजस्व	16.53%
	ग	कर-भिन्न राजस्व	27.03%
	घ	कुल व्यय	10.39%
	ड.	पूंजीगत व्यय	7.73%
	च	शिक्षा पर राजस्व व्यय	12.30%
	छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	11.11%
	ज	वेतन एवं मजदूरी	10.59%
	झ	पेंशन	16.32%

* दिल्ली, गोआ तथा पुदुचेरी के अतिरिक्त सामान्य श्रेणी राज्यों पर आधारित।

स्रोत: वित्त लेखे एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, गरीबी रेखा से नीचे (योजना आयोग व एनएसएसओ आंकड़े, 61वां राउण्ड), जनसंख्या सघनता (भारत के महापंजीयक व जनगणना आयुक्त का कार्यालय; गृह मामलों का मंत्रालय), साक्षरता (भारत के महापंजीयक का कार्यालय; गृह मामलों का मंत्रालय) तथा हिमाचल प्रदेश का आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग।

परिशिष्ट-1.1

भाग-क

सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप

सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है (i) समेकित निधि; (ii) आकस्मिकता निधि; तथा (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, खजाना बिलों को जारी करके जुटाए गए समस्त ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों की चुकौती में प्राप्त समस्त धन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य की समेकित निधि" नामक एक समेकित निधि होगी।

भाग II: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के अधिकार में रखे गए अग्रदाय के रूप में है, जो उसे विधानमण्डल द्वारा लम्बित प्राधिकरण हेतु आवश्यक अनपेक्षित व्यय को वहन करने के लिए अग्रिमों को देने हेतु समर्थ बनाती है। समेकित निधि से ऐसे व्यय और समकक्ष राशि के आहरण हेतु विधानमण्डल का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है, तत्पश्चात् अग्रिमों की आकस्मिकता निधि से निधि को पूर्ति की जाती है।

भाग III: लोक लेखा: लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, निक्षेपों, उचन्त, प्रेषणों आदि जैसे कुछ लेन-देनों के सम्बन्ध में प्राप्तियों तथा संवितरणों, जो कि समेकित निधि का भाग नहीं होते, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते हैं तथा इन पर राज्य विधानमण्डल द्वारा मत नहीं दिया जाता है।

परिशिष्ट–1.1

भाग–ख : वित्त लेखे की रूपरेखा

वर्ष 2011–12 के लिए वित्त लेखे को दो खण्डों–खण्ड I व II में विभाजित किया गया है। खण्ड I सरकार की वित्तीय विवरणियों को सारांशित रूप में दर्शाता है जबकि खण्ड II विस्तृत वित्तीय विवरणी को दर्शाता है। वित्त लेखे को बनाने की निम्नांकित ढंग से रूपरेखा की गई है:

	रूपरेखा
खण्ड I	
विवरणी 1	वित्तीय स्थिति की विवरणी
विवरणी 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों की विवरणी
विवरणी 3	प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)
विवरणी 4	व्यय की विवरणी (समेकित निधि) कार्य व स्वरूप द्वारा लेखा टिप्पणियां परिशिष्ट I: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश
खण्ड 2 ***भाग I***	
विवरणी 5	प्रगतिशील पूंजीगत व्यय की विवरणी
विवरणी 6	उधारों एवं अन्य दायित्वों की विवरणी
विवरणी 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रिमों की विवरणी
विवरणी 8	सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरणी
विवरणी 9	सरकार द्वारा दी गई गारण्टियों की विवरणी
विवरणी 10	दत्तमत व प्रभारित व्यय की विवरणी
भाग II	
विवरणी 11	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 12	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 13	लघु शीर्षों द्वारा पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 14	सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 15	उधारों एवं अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 16	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रिमों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 17	स्रोतों तथा राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय हेतु निधियों की प्रयुक्ति की विस्तृत विवरणी
विवरणी 18	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन–देनों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 19	चिन्हित निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरणी
भाग III: परिशिष्ट	
II	वेतन पर तुलनात्मक व्यय
III	उपदान पर तुलनात्मक व्यय
IV	सहायता अनुदान (स्कीम वार व संस्था वार)
V	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं
VI	योजनागत स्कीम व्यय (केन्द्रीय व राज्य योजनागत स्कीमें)
VII	कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण
VIII	शेषों का सारांश
IX	सिंचाई स्कीमों के वित्तीय परिणाम
X	अपूर्ण कार्य
XIII	वेतन व गैर–वेतन भाग के पृथक्करण के साथ अनुरक्षण व्यय

परिशिष्ट-1.2

भाग-क: राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्यपद्धति

वित्त लेखों की विवरणियों से 2007-12 की अवधि में प्रकट हुई प्राप्तियों तथा व्यय के मुख्य राजकोषीय पूर्णयोगों में प्रवृत्तियों का, जहां कहीं भी आवश्यक था, विश्लेषण किया गया तथा उनकी व्यावहारिता पर अभ्युक्तियां की गई हैं। राज्य के वित्त की इसकी पुनर्संरचना योजना में तेरहवें वित्तायोग ने कुछ राजकोषीय पूर्णयोगों के लिए मानकों/सीमा की सिफारिश की तथा अन्य के लिए मानकीय प्रक्षेपणों को भी बनाया। इसके अतिरिक्त, तेरहवें वित्तायोग ने यह भी सिफारिश की कि सभी राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में संशोधन करें ताकि राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार किया जा सके जैसा कि मध्यम से दीर्घकालीन अवधि को आवृत्त करते हुए उनके सम्बद्ध राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों/नियमावलियों में निर्दिष्ट किया गया। राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में की गई वचनबद्धताओं/प्रक्षेपणों सहित राजकोषीय पूर्णयोगों हेतु इसके प्रक्षेपणों के साथ तेरहवें वित्तायोग द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/सीमाओं तथा अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित अन्य विवरणियों में चालू वर्ष के दौरान मुख्य राजकोषीय पूर्णयोगों की प्रवृत्तियों एवं प्रतिमान का गुणात्मक निर्धारण करने के लिए उपयोग किया गया है। यह पूर्वानुमान करते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का एक अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय पूर्णयोगों जैसे कर एवं कर-भिन्न राजस्व तथा पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को चालू बाजार दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद[1] को प्रतिशतता के रूप में दर्शाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रतिनिधित्व आधार के संदर्भ में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, राजस्व व्यय इत्यादि के लिए उत्प्लावकता गुणांक का यह निर्धारण, कि क्या संसाधनों की गतिशीलता, व्यय का प्रतिमान इत्यादि का आधार में परिवर्तन के साथ गति रख रहे हैं अथवा इन राजकोषीय पूर्णयोगों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त कारकों द्वारा भी प्रभावित किया गया है, करने के लिए भी संगणित किया गया है। 2004-05 को आधार के रूप में मानते हुए नई सकल राज्य घरेलू उत्पाद श्रृंखला को जैसा कि राज्य सरकार के निदेशक आर्थिक तथा सांख्यिकी द्वारा प्रकाशित किया गया है, इन प्रतिशतताओं और उत्प्लावकता दरों का आकलन करने में उपयोग किया गया है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

गत पांच वर्षों हेतु राज्य सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़)	**33963**	**41483**	**46969(पी)**	**54695(क्यू)**	**63084(ए)**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	**12.2**	**22.1**	**13.2**	**16.4**	**15.3**
स्रोत: आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।					

[1] सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की कुल आय अथवा श्रम का उपयोग करके उत्पन्न हुई वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य तथा उत्पादन के समस्त अन्य कारकों के रूप में परिभाषित किया गया है।

राजकोषीय पूर्णयोगों की प्रवृत्तियों एवं प्रतिमान के निर्धारणार्थ प्रयोग किए गए कुछ चयनित शब्दों की परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

शब्द	गणना आधार
पैरामीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
अन्य पैरामीटर (वाई) के संबंध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	[(चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि)-1]*100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(विगत वर्ष के राजकोषीय दायित्वों+चालू वर्ष के राजकोषीय दायित्वों की राशि)2]* 100
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि-औसत ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक* ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों के प्रति *प्रतिशत* के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(अथ शेष + ऋणों तथा अग्रिमों के अंतशेष)2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण व अग्रिम-राजस्व प्राप्तियां-विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज अदायगियां
चालू राजस्व से शेष (बीसीआर)	राजस्व प्राप्तियां **घटाएं** मुख्य शीर्ष 2048-ऋण के बचाव को कम करने के लिए विनियोजन के अन्तर्गत अभिलिखित व्यय को छोड़कर समस्त योजनागत अनुदानों तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय

परिशिष्ट-1.2

भाग-ख

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005
(2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया जिसको 2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुन: संशोधित किया गया ताकि राजस्व घाटे में प्रगतिशील कमी द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन तथा राजकोषीय स्थिरता में दूरदर्शिता, राजकोषीय धारणीयता के साथ विवेकी ऋण प्रबन्धन समरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में अधिकतर पारदर्शिता तथा मध्यावधि ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथा निर्धारित राजकोषीय प्रबन्धन सिद्धान्तों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम में राज्य सरकार हेतु निम्नवत् राजकोषीय लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है:

- वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजस्व घाटे को खत्म करना तथा उसके पश्चात् राजस्व अधिशेष को बनाए रखना;
- राजकोषीय घाटे को वित्तीय वर्ष 2011-12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 *प्रतिशत* अथवा उससे कम करना तथा उसके पश्चात् सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 *प्रतिशत* स्तर तक अथवा उससे कम पर बनाए रखना;
- वित्तीय वर्ष 2011-12 तक बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 47 *प्रतिशत* तक कम करना।
- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति के चालीस *प्रतिशत* से नीचे दीर्घावधि ऋण पर बकाया जोखिम भारित गारण्टियों को बनाए रखना जिसके लिए वास्तविक, वित्त लेखे के अनुसार उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 7 को भी संशोधित किया गया जिसमें परिकल्पित है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत सुव्यवस्थित राजकोषीय सुधार पथ की समीक्षा व अनुश्रवण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र तंत्र स्थापित किया जाएगा।

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भः परिच्छेद 1.4, 1.5.3, 1.7.4 तथा 1.8.2; पृष्ठ-7, 14 व 28)

राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
भाग-क: प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	**9,142**	**9,308**	**10,346**	**12,711**	**14,543[$]**
(i) कर राजस्व	***1,958 (21)***	***2,242 (24)***	***2,574(25)***	***3,643(29)***	***4,108 (28)***
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,092 (56)	1,246 (56)	1,487***(58)***	2,101(58)	2,477 (60)
राज्य आबकारी	389 (20)	432 (19)	500***(19)***	562(15)	707 (17)
वाहन कर	114 (6)	136 (6)	134***(5)***	163(4)	176 (4)
स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस	87 (4)	98 (4)	113***(4)***	133(4)	155 (4)
विद्युत कर एवं शुल्क	82 (4)	79 (4)	39***(2)***	302(8)	185 (5)
भू-राजस्व	2 (--)	20 (1)	15***(1)***	5(0.1)	18 (11)
माल व यात्री कर	55 (3)	62 (3)	89***(3)***	93(3)	94 (2)
अन्य कर	137 (7)	169 (7)	197***(8)***	284(8)	296 (7)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	***1,823 (20)***	***1,756(19)***	***1,784(17)***	***1,695***(13)	**1,915 (13)**
(iii) संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश	***794 (9)***	***838 (9)***	***862 (8)***	***1,715***(13)	**1999 (14)**
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	***4,567(50)***	***4,472(48)***	***5,126(50)***	***5,658***(45)	**6,521 (45)**
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	**--**	**--**	**–**	**646**	**--**
3. ऋणों व अग्रिमों की वसूलियां	**26**	**21**	**34**	**73**	**25**
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	**9,168**	**9,329**	**10,380**	**13,430**	**14,568**
5. लोक ऋण प्राप्तियां	**1,849**	**2,249**	**2,553**	**2,411**	***1,984***
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	1,798 (97)	2,237 (99)	2,484 (97)	2,372 (98)	1,904 (96)
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	--	--	–	--	--
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	51 (3)	*12 (1)*	*69(3)*	*39*	80 (4)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	**11,017**	**11,578**	**12,933**	**15,841**	**16,552**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	**--**	**--**	**–**	**--**	**--**
8. लोक लेखा प्राप्तियां	**6,223**	**6,760**	**6,821**	**8,507**	**9,237**
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	**17,240**	**18,338**	**19,754**	**24,348**	**25,789**
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**8,292**	**9,438**	**11,151**	**13,946**	**13,898**
योजनागत	1,202 (14)	877 (9)	1,238***(11)***	1,652(12)	1,701 (12)
आयोजनेत्तर	7,090 (86)	8,561 (91)	9,913 ***(89)***	12,294(88)	12,197(88)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	3,429 (41)	3,918 (42)	4,377***(39)***	5,279(38)	5,690 (41)
सामाजिक सेवाएं	2,876 (35)	3,332 (35)	3,902***(35)***	4,979(35)	5,147 (37)
आर्थिक सेवाएं	1,984 (24)	2,184 (23)	2,868 ***(26)***	3,682(26)	3,049 (22)
सहायता अनुदान व अंशदान	3 (--)	4 (–)	4 (--)	6(--)	12 (--)
11. पूंजीगत व्यय	**1,414**	**2,079**	**1,943**	**1,789**	**1,810**
योजनागत	1,313 (93)	1,992 (96)	1,895***(98)***	1,774(99)	1,764 (97)
आयोजनेत्तर	101 (7)	87 (4)	48***(2)***	15(1)	46 (3)
सामान्य सेवाएं	59 (4)	64 (3)	63***(3)***	73(4)	73 (4)
सामाजिक सेवाएं	586 (42)	833 (40)	610***(31)***	611(34)	372 (21)
आर्थिक सेवाएं	769 (54)	1,182 (57)	1,270***(65)***	1,105(62)	1,365 (75)
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण	**14**	**90**	**70**	**227**	**493**
13. जोड़ (10+11+12)	**9,720**	**11,607**	**13,164**	**1,5962**	**16,201**

[$] बुक समायोजन के रूप में ₹32.43 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
14. लोक ऋण की चुकौतियां	**937**	**885**	**867**	**870**	**1,128**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	839	829	811	808	1,034
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	42	--	--	--	--
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	56	56	56	62	94
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	**--**	**--**	**–**	**--**	**–**
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	**10,657**	**12,492**	**14,031**	**16,832**	**17,329**
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	**--**	**--**	**–**	**--**	**–**
18. लोक लेखा संवितरण	**5,737**	**5,690**	**6,421**	**7,162**	**8,526**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**16,394**	**18,182**	**20,452**	**23,994**	**25,855**
भाग ग. घाटा					
20. राजस्व घाटा (–)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	**(+) 850**	**(-) 130**	**(-) 805**	**(-)1235**	**(+) 645***
21. राजकोषीय घाटा (–)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	**(-) 552**	**(-) 2,278**	**(-) 2,784**	(-)2,532	**(-) 1,633**
22. प्राथमिक घाटा (–)/अधिशेष (+) (21+23)	**(+) 1,151**	**(-) 384**	**(-) 828**	**(-)582**	**(+) 497**
भाग घ: अन्य आंकड़े					
23. ब्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	**1,703**	**1,894**	**1,956**	**1,950**	**2,130**
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	**467**	**582**	**718**	**849**	**981**
25. प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष (दिवस)	**--**	**–**	**--**	**--**	**–**
प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिम (दिवस)	**--**	**–**	**--**	**--**	**–**
प्राप्त किए गए अधिविकर्ष (दिवस)	**--**	**–**	**--**	**--**	**–**
26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज	**--**	**–**	**--**	**--**	**–**
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद@	**33,963 (12.2)**	**41,483 (22.1)**	**46,969 (13.2)**	**54,695 (16.4)**	**63,084 (15.3)**
28 बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	**19,419**	**21,819**	**23,713**	**26,415**	**28,228**
29. बकाया गारण्टियां (वर्षान्त) (ब्याज सहित)	**2,632**	**2,291**	**1,949**	**3,910**	**3,316**
30. गारंटीकृत अधिकतम राशि (वर्षान्त)	**6,450**	**6,076**	**4,361**	**6,232**	**6,208**
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**20**	**17**	**29**	**11**	**13**
32. अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी अवरोधन	**121**	**96**	**108**	**86**	**930**
भाग ङ: राजकोषीय स्थिरता सूचक					
I संसाधन गतिशीलता					
स्वकीय कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.06	0.05	0.05	0.07	0.07
स्वकीय कर-भिन्न राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03
केन्द्रीय अंतरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
II व्यय प्रबन्धन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.29	0.28	0.28	0.29	0.26
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.06	1.25	1.27	1.26	1.11
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.85	0.81	0.85	0.87	0.86
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.36	0.36	0.34	0.35	0.34
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.28	0.29	0.31	0.30	0.27
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.15	0.18	0.15	0.11	0.11
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.14	0.17	0.14	0.11	0.11

* बुक समायोजन के रूप में ₹32.43 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबन्धन (*प्रतिशत* में)					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.50	(-) 0.31	(-) 1.71	(-) 2.26	(+) 1.02
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 1.63	(-) 5.49	(-) 5.93	(-) 4.63	(-) 2.59
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.39	(-) 0.93	(-) 1.76	(-) 1.07	(+) 0.79
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	NA	(-) 5.71	(-) 28.92	(-)48.78	NA
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	(-)0.025	(-)0.049	(-)0.059	(-)0.058	(-)0.024
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबन्धन					
राजकोषीय दायित्वों/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.57	0.53	0.50	0.48	0.45
राजकोषीय दायित्वों/राजस्व प्राप्ति	2.12	2.34	2.29	2.07	1.94
प्रमात्रा विस्तार के प्रति प्राथमिक घाटा	1.741	(-) 0.153	(-) 0.823	(-)0.284	(+) 0.250
ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज़)/कुल ऋण प्राप्तियां	1.02	0.92	0.94	0.22	0.23
V अन्य राजकोषीय स्थिरता सूचक					
निवेश पर प्रतिफल	0.52	89.58	73.49	64.11	85.65
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़)	(+) 113	(-) 1,423	(-) 2,642	(-)2607	(-) 1,529
वित्तीय परिसम्पत्तियां/दायित्व	0.60	0.68	0.67	0.66	0.70
राजस्व व्ययः मूल पैरामीटर					
राजस्व व्यय (₹ करोड़)	8,292	9,438	11,151	13,946	13,898
वृद्धि दर (*प्रतिशत*) राजस्व व्यय	8.48	13.82	18.15	25.06	(-) 0.34
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ करोड़)	7,090	8,561	9,913	12,294	12,197
वृद्धि दर (*प्रतिशत*) आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	12.20	20.75	15.79	24.01	(-) 0.79
योजनागत राजस्व व्यय (₹ करोड़)	1,202	877	1,238	1,652	1,701
वृद्धि दर (*प्रतिशत*) योजनागत राजस्व व्यय	(-) 9.28	(-) 27.04	41.16	33.44	2.97
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	20.88	20.64	21.11	22.48	19.33
राजस्व व्यय/कुल व्यय[2] (*प्रतिशत*)	85.43	81.95	85.16	88.63	85.78
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	72.94	73.76	75.30	77.02	75.29
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	77.55	91.97	95.81	96.72	83.87
राजस्व व्यय की तुलना में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की प्रतिशतता	85.50	90.70	88.90	88.15	87.76
राजस्व व्यय की तुलना में योजनागत राजस्व व्यय	14.50	9.30	11.10	11.85	12.24
के साथ राजस्व व्यय की उत्प्लावकता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.70	0.63	1.38	1.53	(-) 0.02
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	0.51	7.59	1.63	1.09	(-) 0.02
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (अनुपात)	0.70	0.67	1.15	1.04	(-) 0.43
योजनागत राजस्व व्यय (अनुपात)	(-) 0.91	(-) 0.51	0.44	0.75	(-) 0.12

कोष्ठकों के आंकड़े प्रत्येक उप-शीर्ष के जोड़ की प्रतिशतताओं (पूर्णांक) को दर्शाते हैं।

@ सरकार द्वारा सूचित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अपनाया गया है।

[2] कुल व्यय में ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित नहीं है।

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1: पृष्ठ 1)

भाग-क

वर्ष 2011-12 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में) (₹ करोड़ में)

प्राप्तियां						संवितरण				
	2010-11		2011-12			2010-11	2011-12			
							गैर योजनागत	योजनागत	जोड़	
1.	2.	3	4.	5	6	7.	8.	9.	10	11
प्रवर्ग-क राजस्व										
I-राजस्व प्राप्तियां		**12710.61**		**14542.86**[#]	**I-राजस्व व्यय**	**13946.05**	**12197.03**	**1700.94**	**13897.97**	**13897.97**
(i) कर राजस्व	3642.38		4107.92		**सामान्य सेवाएं**		**5654.74**	**35.26**	**5690.00**	
(ii) कर-भिन्न राजस्व	1695.31		1915.20		**सामाजिक सेवाएं**		**4208.89**	**938.56**	**5147.45**	
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	1715.35		1998.37		शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति		2555.17	434.98	2990.15	
(iv) गैर योजनागत अनुदान	2633.09		2646.86		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		664.03	133.27	797.30	
(v) राज्य योजना स्कीमों हेतु अनुदान	2680.22		3342.38		जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास		648.19	(-) 4.57*	643.62	
(vi) केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु अनुदान	344.26		532.13		सूचना एवं प्रसारण		21.29	0.13	21.42	
					अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ी श्रेणियों का कल्याण		10.03	93.35	103.38	
					श्रम एवं श्रम कल्याण		39.05	5.16	44.21	
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण		261.96	274.85	536.81	
					अन्य		9.17	1.39	10.56	
					आर्थिक सेवाएं		**2321.43**	**727.12**	**3048.55**	
					कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप		666.62	435.23	1101.85	
					ग्रामीण विकास		229.20	128.33	357.53	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण		254.90	6.42	261.32	
					ऊर्जा		145.81	5.07	150.88	
					उद्योग एवं खनिज़		30.74	26.42	57.16	
					परिवहन		957.39	104.79	1062.18	
					विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण		2.15	4.13	6.28	
					सामान्य आर्थिक सेवाएं		34.62	16.73	51.35	
					सहायता अनुदान एवं अंशदान		**11.97**	**--**	**11.97**	
योग				**14542.86**	**योग**				**13897.97**	
II-प्रवर्ग-ख को लाया गया राजस्व घाटा		**1235.44**			**II-खण्ड-ख को लाया गया राजस्व अधिशेष**				**644.89**[#]	
योग:		**13946.05**		**14542.86**	**योग:**	**13946.05**			**14542.86**	**14542.86**

[#] बुक समायोजन के रूप में ₹32.43 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

* शीर्ष 2215-01-799 के अंतर्गत इस वर्ष के स्टॉक के अतिरिक्त विगत वर्ष के अप्रयुक्त स्टॉक की प्रयुक्ति के कारण ऋणात्मक व्यय।

प्राप्तियां						संवितरण				
	2010-11		2011-12			2010-11	2011-12			
							गैर योजनागत	योजनागत	जोड़	
1.	2.	3	4.	5	6	7.	8.	9.	10	11
प्रवर्ग- ख-पूंजीगत										
III- स्थायी अग्रिमों एवं रोकड़ शेष निवेश सहित अथ रोकड़ शेष	281.16			634.86	III-भारतीय रिज़र्व बैंक से अथ अधिविकर्ष					
IV- विविध पूंजीगत प्राप्तियां	645.85		-		IV-पूंजीगत परिव्यय	1788.99	46.36	1763.47	1809.83	1809.83
					सामान्य सेवाएं	73.33	2.00	71.30	73.30	
					सामाजिक सेवाएं	611.32	--	371.87	371.87	
					शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति		--	97.73	97.73	
					स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		--	29.19	29.19	
					जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास		--	225.37	225.37	
					सूचना एवं प्रसारण		--	0.12	0.12	
					अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ी श्रेणियों का कल्याण		--	13.22	13.22	
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण		--	5.83	5.83	
					अन्य		--	0.41	0.41	
					आर्थिक सेवाएं	1104.34	44.36	1320.30	1364.66	1364.66
					कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप		10.76	60.86	71.62	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण		--	323.50	323.50	
					ऊर्जा		--	206.50	206.50	
					उद्योग एवं खनिज़		0.50	14.02	14.52	
					परिवहन		33.10	653.34	686.44	
					सामान्य आर्थिक सेवाएं		--	62.08	62.08	
					योग	1788.98	46.36	1763.47	1809.83	
V-ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां		72.59		24.86	V- संवितरित ऋण एवं अग्रिम	226.56	14.45	478.42	492.98	492.98
विद्युत परियोजनाओं से	57.16		1.22		विद्युत परियोजनार्थ		--	473.56	473.56	
सरकारी कर्मचारियों से	12.44		10.55		सरकारी कर्मचारियों को		1.60	4.53	6.13	
अन्य से	2.99		13.09		अन्य को		12.96	0.33	13.29	
VI-कम किया गया राजस्व अधिशेष	-			644.89	VI-कम किया गया राजस्व घाटा	1235.44	--	--	-	

प्राप्तियां						संवितरण				
	2010-11		2011-12			2010-11	2011-12			
							गैर योजनागत	योजनागत	जोड़	
1.	2.	3	4.	5	6	7.	8.	9.	10	11
VII-लोक ऋण प्राप्तियां		2411.06		**1984.05**	**VII-लोक ऋण की चुकौती**	**869.65**				**1127.72**
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	2372.26		1903.87		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण		1034.35			
अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन			--		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतर्गत निवल लेन-देन		--			
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	38.80		80.18		केन्द्रीय सरकार को ऋणों एवं अग्रिमों की चुकौती		93.37			
VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोजन			**-**		**VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोजन**		**-**			**--**
IX-आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि			**-**		**IX-आकस्मिकता निधि से व्यय**					**--**
X- लोक लेखा प्राप्तियां		**8506.79**		**9236.66**	**X-लोक लेखा संवितरण**	**7161.95**				**8526.07**
लघु बचतें एवं भविष्य निधियां	2165.72		2099.97		लघु बचतें एवं भविष्य निधियां		1464.44			
आरक्षित निधियां	433.20		285.00		आरक्षित निधियां		141.77			
निक्षेप एवं अग्रिम	1630.05		1780.24		निक्षेप एवं अग्रिम		1602.56			
उचन्त एवं विविध	413.57		361.71		उचन्त एवं विविध		480.39			
प्रेषण	3864.25		4709.74		प्रेषण		4836.91			
XI-भारतीय रिज़र्व बैंक से इतिशेष अधिविकर्ष	**-**		**-**	**--**	**XI-अंत में रोकड़ शेष**	**634.86**				**568.72**
					खजानों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		2.14			
					स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष		0.19			
					रिज़र्व बैंक के पास निक्षेप		(-)382.28			
					रोकड़ शेष निवेश		948.67			
योग:		**11917.45**		**12525.32**	**योग:**	**11917.45**				**12525.32**

परिशिष्ट-1.4

(सन्दर्भः परिच्छेद 1.1 तथा 1.8.1; पृष्ठ 1 व 28)

भाग-ख

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2012 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति			
परिसम्पत्तियां	**31.03.2011 को**	**31.03.2012 को**	
स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय-	**16800.99**		**18610.82**
कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	2863.53	2448.06	
अन्य पूंजीगत परिव्यय	13937.46	16162.76	
ऋण एवं अग्रिम-	**483.28**		**951.40**
विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	336.29	808.62	
अन्य विकास ऋण	99.52	98.72	
सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	47.47	44.06	
आरक्षित निधि निवेश			**---**
रोकड़ -	**634.86**		**568.72**
खज़ानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	2.25	2.14	
भारतीय रिज़र्व बैंक में निक्षेप	(-)274.11	(-) 382.28	
विभागीय रोकड़ शेष	0.16	0.16	
स्थायी अग्रिम	0.03	0.03	
रोकड़ शेष निवेश	906.53	948.67	
प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य♣	**9337.43**		**8692.54**
	27256.56		**28823.48**

♣ प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य भिन्न है न कि चालू वर्ष हेतु राजकोषीय/राजस्व घाटे से।

देयताएं	31.03.2011 को	31.03.2012 को	
आंतरिक ऋण	**17693.88**		**18563.40**
ब्याज वाले बाजार ऋण	9224.26	10146.61	
ब्याज रहित बाजार ऋण	0.03	0.07	
भारतीय जीवन एवं सामान्य बीमा निगम से ऋण	331.27	282.71	
नाबार्ड से ऋण	1131.60	1278.06	
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	31.03	23.11	
केन्द्र सरकार की एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	4935.51	5063.00	
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	30.32	23.30	
अन्य संस्थाओं से ऋण	2009.86	1746.54	
केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम-	**960.48**		**947.30**
आयोजनेत्तर ऋण	11.82	9.55	
राज्य योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	913.82	937.13	
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	0.12	--	
केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	34.59	0.49	
अन्य ऋण	0.13	0.13	
आकस्मिकता निधि	**5.00**		**5.00**
लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	**6102.35**		**6737.89**
निक्षेप	**1580.14**		**1757.82**
आरक्षित निधियां	**77.35**		**220.58**
उचन्त एवं विविध शेष	**309.69**		**191.00**
प्रेषण शेष	**527.67**		**400.49**
	27256.56		**28823.48**

परिशिष्ट-1.5

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.3.2; पृष्ठ 6)

2011-12 के दौरान कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी

राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय स्कीम निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट से बाहर रखी गई निधियां) (लेखापरीक्षित बिना आंकड़े)			
भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन एजेंसी	भारत सरकार द्वारा जारी	
		2011-12	2010-11
		(₹ लाख में)	
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	3,11,38.16	6,36,25.00
	योग	**3,11,38.16**	**6,36,25.00**
सर्व शिक्षा अभियान	हि0प्र0 प्राथमिक शिक्षा संस्था	1,41,93.00	1,37,86.66
	योग	**1,41,93.00**	**1,37,86.66**
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी डीएचई	एनआईआईटी हमीरपुर	70,00.00	41,89.00
	योग	**70,00.00**	**41,89.00**
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	आरआईडीएफ	3,10,30.00	1,99,30.00
	योग	**3,10,30.00**	**1,99,30.00**
एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	67,78.38	1,07,81.33
	योग	**67,78.38**	**1,07,81.33**
विशेष श्रेणी राज्य हेतु पैकेज़	हि0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम	1,01,37.11	29,84.00
	योग	**1,01,37.11**	**29,84.00**
पर्यटक स्थलों का विकास	हि0प्र0 पर्यटन विकास बोर्ड	2,70.00	23,30.62
	योग	**2,70.00**	**23,30.62**
उत्पाद/अवसंरचना	हि0प्र0 पर्यटन विकास बोर्ड	--	23,30.62
	योग	**--**	**23,30.62**
ग्रामीण आवास आईएवाई	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	23,08.90	22,59.85
	योग	**23,08.90**	**22,59.85**
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास	उपायुक्त	--	16,00.00
	योग	**--**	**16,00.00**
अस्पताल एवं औषधालय (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत)	हि0प्र0 में आयुष संस्थानों के विकासार्थ संस्था	8,74.98	21,54.13
	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन केन्द्रीय प्रायोजित	1,64,71.17	--
	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन केन्द्रीय क्षेत्र	60.81	--
	योग	**1,74,06.96**	**21,54.13**
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता स्कीम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन	4,69.57	7,53.00
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता स्कीम	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिमला	--	--
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता स्कीम	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	--	21,86.78
	योग	**4,69.57**	**29,39.78**
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	11,01.42	12,78.48
	योग	**11,01.42**	**12,78.48**

भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन एजेंसी	भारत सरकार द्वारा जारी	
जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	10,23.95	6,37.63
	योग	**10,23.95**	**6,37.63**
ई-गवर्नेंस	एसआईटीईजी	90.10	4.35
	योग	**90.10**	**4.35**
एसटीडी नियंत्रण सहित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	हि0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण संस्था	12,89.66	11,02.81
	योग	**12,89.66**	**11,02.81**
विस्तार सुधारों हेतु राज्य को सहायता	राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश	14,48.34	4,02.61
	योग	**14,48.34**	**4,02.61**
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	प्रधानाचार्य पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, शिमला	4,24.00	2,43.00
	योग	**4,24.00**	**2,43.00**
राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	राज्य वन विकास एजेंसी	33.05	3,45.00
	योग	**33.05**	**3,45.00**
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन	1,46,02.83	--
	योग	**1,46,02.83**	**--**
पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान	हि0प्र0 क्रीड़ा परिषद्	4,89.77	10,12.85
	योग	**4,89.77**	**10,12.85**
कृषि आर्थिक नीति एवं विकास अध्ययन	हि0प्र0 विश्वविद्यालय शिमला	3,57.00	4,06.54
	योग	**3,57.00**	**4,06.54**
विपणन बोर्ड का विकास	एचपीएसए विपणन बोर्ड शिमला	--	1,26.80
	योग	**--**	**1,26.80**
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु स्वास्थ्य बीमा (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना)	हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना संस्था	--	7,37.86
	योग	**--**	**7,37.86**
नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं अभिकल्प	चौधरी सरवण कुमार हि0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय	17.58	9.65
	योग	**17.58**	**9.65**
	सकल योग:	**141609.78**	**135218.57**

परिशिष्ट-1.6

(संदर्भः परिच्छेद 1.5.6.2; पृष्ठ 18)

पंचायती राज संस्थानों को सुपुर्द कार्य

1.	कृषि, कृषि विस्तारण सहित
2.	भू-सुधार, भू-सुधारों को लागू करना, भू-संघटन एवं भू-संरक्षण
3.	लघु सिंचाई, जल प्रबन्धन एवं जलागम विकास
4.	पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मुर्गी पालन
5.	मत्स्य पालन
6.	सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी
7.	लघु वन्य उत्पादन
8.	लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित
9.	खादी, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग
10.	ग्रामीण आवास
11.	पेयजल
12.	ईंधन एवं चारा
13.	सड़कें, पुलिया, पुल, नौकायन जलपथ एवं संवहन के अन्य साधन
14.	गैर परम्परागत उर्जा स्रोत
15.	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
16.	शिक्षा, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल सम्मिलित
17.	तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा
18.	पुस्तकालय
19.	बाजार एवं मेले
20.	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं औषधालय सम्मिलित
21.	परिवार कल्याण
22.	महिला एवं बाल विकास
23.	समाज कल्याण, विकलांग एवं चित्त बधिर कल्याण सहित
24.	समाज के कमजोर वर्गों प्रमुखतः अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
25.	लोक वितरण प्रणाली
26.	सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रखरखाव

पंचायती राज संस्थानों को अब तक सुपुर्द नहीं किए गए कार्य

1.	ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत वितरण सम्मिलित
2.	व्यस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा
3.	सांस्कृतिक क्रियाकलाप

परिशिष्ट-1.7

(संदर्भः परिच्छेद 1.5.7.5; पृष्ठ 22)

शहरी स्थानीय निकायों को सुपुर्द कार्य

1.	शहरी योजना जिसमें नगरीय योजना भी सम्मिलित है।
2.	आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना
3.	सड़कें एवं पुल
4.	घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रबन्धन हेतु जलापूर्ति
5.	जनस्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन
6.	शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय कारकों का अभिवर्द्धन
7.	समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा जिसमें विकलांग एवं चित्त बधिर भी शामिल हैं
8.	गंदी बस्तियों का सुधार एवं उत्थान
9.	शहरी गरीबी उन्मूलन
10.	शहरी रमणीयतायें एवं सुविधाएं जैसे उपवन, उद्यान एवं खेल के मैदानों का प्रावधान
11.	सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौन्दर्य कारकों का अभिवर्द्धन
12.	शवाधियां एवं शवधी स्थल, दाह गृह, श्मशान स्थल एवं विद्युत शव दाह गृह
13.	मवेशी जलाशय, पशुओं के प्रति अत्याचार की रोकथाम
14.	जन्म तथा मरण के पंजीकरण सम्मिलित विस्तृत आंकड़े
15.	जन सुविधाएं जिसमें पथ प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप एवं जन सुविधाएं सम्मिलित हैं।
16.	कसाई खानों एवं चर्म शालाओं का नियमन

शहरी स्थानीय निकायों को अब तक सुपुर्द नहीं किए गए कार्य

1	भू-उपयोग एवं भवन निर्माण का नियमन
2.	अग्निशमन सेवाएं

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भः परिच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 38)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां बचतें प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के तीन मामलों में 20 प्रतिशत से अधिक थीं

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचतें	प्रतिशतता
		राजस्व			
1.	01	विधानसभा (राजस्व-दत्तमत)	14.66	1.69	
2.	03	न्याय प्रशासन (राजस्व-दत्तमत)	97.23	15.96	
3.	04	सामान्य प्रशासन (राजस्व-दत्तमत)	118.01	15.74	
4.	05	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन (राजस्व-दत्तमत)	418.67	65.55	
5.	06	आबकारी एवं कराधान (राजस्व-दत्तमत)	53.71	10.50	
6.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन (राजस्व-दत्तमत)	552.48	35.45	
7.	08	शिक्षा (राजस्व-दत्तमत)	2919.41	205.11	
8.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व-दत्तमत)	740.87	21.82	
9.	11	कृषि (राजस्व-दत्तमत)	186.67	11.66	
10.	12	बागवानी (राजस्व-दत्तमत)	145.76	10.75	
11.	14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य (राजस्व-दत्तमत)	186.72	6.42	
12.	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना (राजस्व-दत्तमत)	46.44	9.43	
13.	16	वन एवं वन्य-प्राणी (राजस्व-दत्तमत)	363.89	48.36	
14.	17	चुनाव (राजस्व-दत्तमत)	18.54	1.11	
15.	18	उद्योग, धातु, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी (राजस्व-दत्तमत)	55.30	9.33	
16.	19	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण (राजस्व-दत्तमत)	359.68	11.70	
17.	20	ग्रामीण विकास (राजस्व-दत्तमत)	385.91	75.07	
18.	21	सहकारिता (राजस्व-दत्तमत)	27.63	7.34	27

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचतें	प्रतिशतता
19.	22	खाद्य एवं सामान्य आपूर्ति (राजस्व-दत्तमत)	124.34	5.63	
20.	23	विद्युत विकास (राजस्व-दत्तमत)	164.31	19.22	
21.	24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री (राजस्व-दत्तमत)	20.67	1.66	
22.	26	पर्यटन एवं नागरिक विमानन (राजस्व-दत्तमत)	18.99	3.38	
23.	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण (राजस्व-दत्तमत)	69.47	3.93	
24.	28	शहरी विकास, नगर तथा ग्रामीण योजना एवं आवास (राजस्व-दत्तमत)	123.38	1.55	
25.	29	वित्त (राजस्व-दत्तमत)	2257.27	6.35	
26.	30	विविध सामान्य सेवाएं (राजस्व-दत्तमत)	53.82	7.58	
27.	31	जनजातीय विकास (राजस्व-दत्तमत)	574.96	26.64	
28.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना (राजस्व-दत्तमत)	414.91	13.96	
29.	03	न्याय प्रशासन (राजस्व-प्रभारित)	23.55	2.32	
30.	29	वित्त (राजस्व-प्रभारित)	2150.58	20.88	
		पूंजीगत			
31.	08	शिक्षा (पूंजीगत-दत्तमत)	23.84	1.44	
32.	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन (पूंजीगत-दत्तमत)	486.14	51.22	
33.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता (पूंजीगत-दत्तमत)	371.71	20.19	
34.	22	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (पूंजीगत-दत्तमत)	1.25	1.25	100
35.	28	शहरी विकास, नगर तथा ग्रामीण योजना एवं आवास (पूंजीगत-दत्तमत)	16.00	1.61	
36.	29	वित्त (पूंजीगत-दत्तमत)	6.73	1.67	25
37.	31	जनजातीय विकास (पूंजीगत-दत्तमत)	141.04	12.55	
38.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना (पूंजीगत-दत्तमत)	498.30	2.39	

परिशिष्ट -2.2

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.3; पृष्ठ 39)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां व्यय प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक था

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	व्यय	अधिक व्यय	अधिक व्यय की प्रतिशतता (20 *प्रतिशत* से अधिक)
राजस्व-दत्तमत						
1.	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	1802.47	2024.46	221.99	--
2.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1134.34	1485.05	350.71	31
पूंजीगत-दत्तमत						
3.	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	90.40	129.46	39.06	43
4.	23	विद्युत विकास	387.43	499.66	112.23	29
पूंजीगत-प्रभारित						
5.	29	वित्त	1099.25	1127.72	28.47	--
		योग	**4513.89**	**5266.35**	**752.46**	

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भः परिच्छेद 2.3.6; पृष्ठ 41)

विगत वर्षों के प्रावधान की तुलना में आधिक्य के नियमितिकरण की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/ विनियोजनों की संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	आधिक्य राशि	लोक लेखा समिति द्वारा विचाराधीन अवस्था
2008-09	11 अनुदान 3 विनियोजन	7, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 28, 30, 31 तथा 32 2,3 तथा 29	556.52	लेखापरीक्षा टिप्पणियां वित्त विभाग/ हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भेज दी गई। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।
2009-10	19 अनुदान 1 विनियोजन	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29 तथा 32 10	887.80	स्वयंमेव उत्तर वित्त विभाग से अभी तक प्रतीक्षित है। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।
2010-11	19 अनुदान 2 विनियोजन	1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 23, 26, 27, 29, 30, 31, तथा 32 2 तथा 10	2237.64	07.07.2012 से चर्चा अपेक्षित है। स्वयंमेव उत्तर वित्त विभाग से अभी तक अपेक्षित है। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।
			3681.96	

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भः परिच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 42)

2011-12 के दौरान प्रावधान की तुलना में आधिक्य के नियमितिकरण की आवश्यकता

(₹ में)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या तथा शीर्षक (राजस्व तथा पूंजीगत)	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य
1.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन (राजस्व-दत्तमत)	1802,47,40,000	2024,46,29,300	221,98,89,300
2.	13-सिंचाई, जलापूर्ति व स्वच्छता (राजस्व-दत्तमत)	1134,33,72,000	1485,04,64,616	350,70,92,616
3.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पूंजीगत-दत्तमत्त)	16,54,00,000	16,56,00,000	2,00,000
4.	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना (पूंजीगत-दत्तमत)	90,40,00,000	129,46,18,281	39,06,18,281
5.	21-सहकारिता (पूंजीगत-दत्तमत)	6,56,90,000	6,58,67,841	1,77,841
6.	23-विद्युत विकास (पूंजीगत-दत्तमत)	387,42,61,000	499,65,92,000	112,23,31,000
7.	29-वित्त (पूंजीगत-प्रभारित)	1099,24,52,000	1127,72,01,231	28,47,49,231
	योग	**4536,99,15,000**	**5289,49,73,269**	**752,50,58,269 अथवा 752.51 करोड़**

परिशिष्ट–2.5

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.8; पृष्ठ 42)

मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ हजार में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचतें	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व–दत्तमत					
1.	05–भू–राजस्व एवं जिला प्रशासन	4,14,50,88	3,53,11,17	61,39,71	4,15,69
2.	07–पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	5,49,42,92	5,17,03,02	32,39,90	3,04,80
3.	11–कृषि	1,80,59,22	1,75,01,18	5,58,04	6,07,98
4.	21–सहकारिता	27,09,15	20,28,60	6,80,55	53,55
5.	27–श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	66,32,60	65,54,58	78,02	3,14,65
6.	31–जनजातीय विकास	5,52,00,95	5,48,31,23	3,69,72	22,94,70
पूंजीगत–दत्तमत					
7.	22–खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	9	6	3	1,25,00
	योग	**17,89,95,81**	**16,79,29,84**	**1,10,65,97**	**41,16,37 अथवा ₹41.16 करोड़**

परिशिष्ट–2.6

(संदर्भः परिच्छेद 2.3.8; पृष्ठ 42)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान तथा विनियोजन का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	जोड़	व्यय	आधिक्य
पूंजीगत–दत्तमत							
1.	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना	75.40	15.00	90.40	129.46	39.06
2.	23	विद्युत विकास	150.00	237.43	387.43	499.66	112.23
पूंजीगत प्रभारित							
3.	29	वित्त	960.85	138.40	1099.25	1127.72	28.47
		योग	**1186.25**	**390.83**	**1577.08**	**1756.84**	**179.76**

परिशिष्ट–2.7

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.9; पृष्ठ 42)

निधियों का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(₹ लाख में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अन्तिम आधिक्य (+)/ बचत (–)
1.	05	भू–राजस्व व जिला प्रशासन	2053-093-01	(-) 958.91	(-) 878.04
2.			2245-02-101-01	(-) 0.01	2540.73
3.			2245-02-107-01	(-) 0.01	767.50
4.			2245-02-111-01	3749.99	(-) 1464.00
5.			2245-02-113-01	999.99	(-) 875.00
6.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	2070-104-01	(-) 562.16	259.81
7.			2055-108-05	(-) 219.24	313.02
8.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-03-110-01	(-) 345.00	283.54
9.			2211-101-01	(-) 1195.24	304.91
10.			2210-05-105-01	1456.22	2996.97
11.	10	लोक निर्माण–सड़कें, पुल एवं भवन	3054-04-105-02	6810.00	(-) 371.48
12.			2059-80-053-03	(-) 452.00	(-) 596.89
13.			2059-80-053-05	(-) 849.70	(-) 852.49
14.			3054-03-103-06	(-) 1500.00	381.23
15.			3054-03-103-10	(-) 353.26	(-) 1160.54
16.			3054-03-103-12	101.80	(-) 227.56
17.			3054-03-103-13	(-) 852.70	(-) 617.24
18.			3054-03-103-14	(-) 2849.70	(-) 510.49
19.			3054-03-103-15	11.00	(-) 292.83
20.			3054-04-105-02	(-) 3955.35	928.72
21.			3054-04-105-07	(-) 727.74	(-) 13572.33
22.			3054-04-105-08	11.00	(-) 813.81
23.			3054-80-001-01	(-) 980.27	(-) 322.61

क्रमांक	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अन्तिम आधिक्य (+)/ बचत (–)
24.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2215-01-001-01	9.95	422.33
25.			2215-01-001-02	118.54	1259.95
26.			2215-01-101-02	155.10	359.52
27.			2215-01-102-03	(-) 1586.27	1730.11
28.			2215-01-102-12	1512.32	957.26
29.			2700-01-799-01	486.36	1181.79
30.			2702-80-001-06	696.08	703.82
31.			2711-01-799-01	(-) 300.00	3564.62
32.			2702-80-001-02	480.66	(-) 575.17
33.	14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	2403-101-01	127.50	(-) 315.69
34.	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना	2406-01-102-18	(-) 439.95	318.27
35.			5054-04-800-06	417.75	4941.99
36.	16	वन एवं वन्य प्राणी	2406-01-001-02	(-) 4464.86	(-) 236.44
37.	20	ग्रामीण विकास	2515-102-01	(-) 2107.40	(-) 218.23
38.	29	वित्त	2071-01-101-02	(-) 6302.85	395.82
39.			2071-01-101-04	(-) 1112.54	(-) 1597.80
40.			2071-01-102-01	118.68	(-) 500.00
41.			2071-01-101-03	1762.33	11443.03
42.			2049-01-200-20	(-) 2.75	(-) 237.07
43.			2049-01-200-21	(-) 887.14	(-) 47112.86
44.	31	जनजातीय विकास	3054-04-796-01	5.27	(-) 406.20
45.			3054-04-796-02	9.75	(-) 565.53
46.	32	अनुसूचित जाति उप–योजना	4702-789-04	0.57	378.36
47.			4711-01-789-13	2000.00	(-) 2000.00
48.			4215-01-789-02	(-) 331.63	348.49
49.			4711-01-789-02	(-) 1999.91	2000.00
50.			5054-03-789-03	2250.00	322.30

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भः परिच्छेद 2.3.11; पृष्ठ 42)

वर्ष 2011-12 के दौरान किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ लाख में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख)	अभ्यर्पण राशि (₹10 लाख तथा इससे ऊपर)	कुल प्रावधान के सम्बन्ध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
दत्तमत्त					
1.	03	2014-00-105-04	555.00	494.21	89
2.	04	3425-60-200-01	700.00	382.95	55
3.	04	3435-03-103-01	50.00	35.50	71
4.	05	2401-00-111-04	54.96	29.12	53
5.	05	2506-00-102-02	1047.78	721.59	69
6.	05	2702-80-800-07	48.38	28.82	60
7.	05	3454-01-800-01	277.56	259.60	94
8.	07	2070-00-106-01	37.09	23.57	64
9.	07	2070-00-107-01	35.87	27.32	76
10.	07	2070-00-107-03	50.53	27.35	54
11.	08	4202-01-202-03	20.40	20.40	100
12.	08	4202-01-202-05	15.20	15.20	100
13.	09	2211-00-001-01	50.00	50.00	100
14.	13	4701-21-800-01	750.00	750.00	100
15.	13	4702-00-800-14	1020.00	520.00	51
16.	13	4711-01-800-08	1050.00	1050.00	100
17.	14	2403-00-107-01	30.19	15.81	52
18.	14	2405-00-101-03	32.85	28.44	87
19.	15	2202-01-101-03	211.69	110.38	52
20.	15	2210-06-101-13	185.58	102.49	55
21.	15	2402-00-102-08	59.73	45.63	76
22.	15	2406-01-102-18	439.95	439.95	100
23.	15	3451-00-101-07	60.61	32.57	54
24.	15	5002-01-120-01	500.00	500.00	100
25.	16	2406-02-110-10	350.00	195.58	56

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख)	अभ्यर्पण राशि (₹10 लाख तथा इससे ऊपर)	कुल प्रावधान के सम्बन्ध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
दत्तमत					
26.	19	2235-02-103-01	80.11	48.37	60
27.	20	2505-01-702-06	8659.00	5786.33	67
28.	22	2236-02-101-06	30.00	23.44	78
29.	22	5475-00-102-01	125.00	125.00	100
30.	23	2801-80-101-02	1777.67	1777.67	100
31.	23	3425-60-004-01	11.83	11.83	100
32.	24	2058-00-103-83	15.00	15.00	100
33.	29	2071-01-101-02	8000.00	4342.26	54
34.	29	2071-01-104-01	350.00	204.63	58
35.	29	4059-01-051-28	77.00	77.00	100
36.	29	7610-00-202-03	30.00	15.17	51
37.	31	2202-02-796-01	267.89	167.85	63
38.	31	2408-01-796-01	148.36	75.02	51
39.	31	2851-00-796-01	47.93	47.93	100
40.	31	5054-03-796-02	1440.00	1274.69	89
41.	32	4235-02-789-01	400.00	277.50	69
42.	32	4711-00-789-03	350.00	350.00	100
43.	32	6225-01-789-02	60.00	34.00	57
प्रभारित					
44.	03	2014-00-102-03	299.00	221.45	74
45.	29	2049-01-101-11	259.21	259.21	100
46.	29	2049-01-101-29	705.84	705.84	100
47.	29	2049-01-101-30	293.49	293.49	100
48.	29	2049-01-101-31	525.01	525.01	100
49.	29	2049-01-200-22	1200.00	662.15	55
50.	29	6004-02-101-06	91.00	91.00	100
		योग	**32876.71** अथवा **₹328.77 करोड़**	**23318.32** अथवा **₹233.18 करोड़**	

परिशिष्ट–2.9

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.11; पृष्ठ 43)

वर्ष के दौरान शत प्रतिशत अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान संख्या व शीर्षक	स्कीम का नाम (लेखा शीर्ष)	अभ्यर्पण की राशि (₹ लाख में)	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1.	08–शिक्षा	पिछड़ा क्षेत्र में मॉडल स्कूल भवन का निर्माण (4202–01–202–03)	20.40	100
कोडल औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
2.	08–शिक्षा	सामान्य क्षेत्र में शैक्षणिक पिछड़े खण्डों में लड़कियों के छात्रावासों का निर्माण (4202–01–202–05)	15.20	100
कोडल औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
3.	09–स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राज्य मुख्यालय (2211–001–01)	50.00	100
रोगी कल्याण समिति में रिक्त पदों को नहीं भरने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
4.	13–सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	नदौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना (4701–21–800–01)	750.00	100
कार्यों के निष्पादन में कमी के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
5.	13–सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत बाटा नदी का नहरीकरण (4711–01–800–08)	1050.00	100
कार्यों का निष्पादन न करने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
6.	15– योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना	सामाजिक वानिकी कार्यक्रम (2406–01–102–18)	439.95	100
भवन के रखरखाव पर कम व्यय एवं कोडल औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
7.	15– योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना	रेलवे लाईनों का निर्माण (5002–01–120–01)	500.00	100
निर्माण कार्यों पर व्यय नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
8.	22– खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	भवन (5475–102–01)	125.00	100
प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए भूमि की अनुपलब्धता के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
9.	23–विद्युत विकास	ब्याज उपदान (2801–80–101–02)	1777.67	100
उपदान मामलों एवं अन्य लेखे से देयताओं के निपटान की प्राप्ति नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
10.	23– विद्युत विकास	मुख्यालय स्थापना (3425–60–004–01)	11.83	100
लेखा शीर्ष के गैर कार्यात्मक होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
11.	24–मुद्रण एवं लेखन सामग्री	राजस्व विभाग (2058–00–103–38)	15.00	100
सामग्रियों की खरीददारी नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				

क्रमांक	अनुदान संख्या व शीर्षक	स्कीम का नाम (लेखा शीर्ष)	अभ्यर्पण की राशि (₹ लाख में)	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
12.	29-वित्त	हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2010 पर 11.5% ब्याज (2049-01-101-11)	259.21	100
ब्याज की कम अदायगी के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
13.	29-वित्त	हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2010 पर 10.52% ब्याज (2049-01-101-29)	705.84	100
ब्याज की कम अदायगी के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
14.	29-वित्त	हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2010 पर 12% ब्याज (2049-01-101-30)	293.49	100
ब्याज की कम अदायगी के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
15.	29-वित्त	हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2011 पर 10.50% ब्याज (2049-01-101-31)	525.01	100
ब्याज की कम अदायगी के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
16.	29-वित्त	13वें वित्त आयोग के तत्वाधान से आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का भवन निर्माण (4059-01-051-28)	77.00	100
कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
17.	29-वित्त	बैक टू बैक आधार पर परियोजनों के प्रतिपूर्ति प्रक्रिया के अंतर्गत बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ऋणों की पुन: अदायगी (आई डी ए) 2016 (6004-02-101-06)	91.00	100
ऋणों पर पुन: अदायगी नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
18.	31-जनजातीय विकास	औद्योगिक योजना पर व्यय (2851-796-01)	47.93	100
कोडल औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
19.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	बाटा नदी का नहरीकरण (4711-01-789-03)	350.00	100
कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
		योग	**7104.53 अथवा ₹71.05 करोड़**	

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.11; पृष्ठ 43)

31 मार्च 2012 को ₹10 करोड़ से अधिक निधियों का अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
1.	03	2014-न्याय प्रशासन	15.66	16
2.	05	2029-भू-राजस्व	35.02	29
3.	05	2053-जिला प्रशासन	10.46	11
4.	07	2055-पुलिस	29.29	7
5.	07	2070-अन्य प्रशासकीय सेवाएं	12.06	26
6.	08	2202-सामान्य शिक्षा	204.39	7
7.	09	2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	39.42	7
8.	09	2211-परिवार कल्याण	19.36	21
9.	10	3054-सड़क एवं पुल	66.54	4
10.	13	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	10.49	23
11.	16	2406-वन एवं वन्य प्राणी	40.04	13
12.	20	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	14.55	6
13.	23	2801-विद्युत	18.39	13
14.	29	2049-ब्याज अदायगियां	87.92	4
15.	29	2054-खजाना एवं लेखा संगठन	10.83	41
16.	29	2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	90.60	4
17.	31	2202-सामान्य शिक्षा	16.24	12
18.	31	5054-सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	12.75	31
		जोड़	**734.01**	

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भः परिच्छेद 2.3.12; पृष्ठ 43)

वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण (₹50 लाख अथवा इससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन संख्या व नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पित राशि
राजस्व-दत्तमत्त					
1.	07-पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	552.48	35.45	42.55	7.10
2.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	740.87	21.82	61.42	39.60
3.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	46.44	9.43	15.26	5.83
4.	29-वित्त	22.57	6.35	102.98	96.63
5.	31-जनजातीय विकास	574.96	26.64	31.22	4.58
राजस्व-प्रभारित					
6.	29- वित्त	2150.58	20.88	87.92	67.04
पूंजीगत-दत्तमत्त					
7.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	371.71	20.19	43.05	22.86
8.	31-जनजातीय विकास	141.04	12.55	12.88	0.33
9.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	498.30	2.39	9.11	6.72
	योग	**5098.95**	**155.70**	**406.39**	**250.69**

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भः परिच्छेद 2.3.14; पृष्ठ 43)

व्यय का तीव्र प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	स्कीम/सेवा का लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2012 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2012 में किया गया व्यय	कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी-मार्च 2012	मार्च 2012
1.	05-भू-राजस्व व जिला प्रशासन	2245-05-101-01	137.30	137.30	137.30	100	100
2.	08-शिक्षा	2202-01-101-12	20.00	20.00	20.00	100	100
3.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	2059-80-053-04	10.88	10.88	18.73	58	58
4.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	3054-03-103-06	17.78	17.78	19.67	90	90
5.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	3054-03-103-08	11.61	11.61	18.26	64	64
6.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	3054-04-105-02	60.13	60.13	64.39	93	93
7.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	3054-04-105-08	22.85	22.85	28.42	80	80
8.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	4216-01-106-01	11.70	11.70	17.46	67	67
9.	11-कृषि	2401-00-800-13	20.97	20.97	40.82	51	51
10.	13-सिंचाई, जलापूर्ति व स्वच्छता	2215-00-102-12	82.50	82.50	151.70	54	54
11.	13-सिंचाई, जलापूर्ति व स्वच्छता	2702-80-001-09	15.21	15.21	15.21	100	100
12.	13-सिंचाई, जलापूर्ति व स्वच्छता	4700-01-800-01	24.42	24.42	40.50	60	60
13.	13-सिंचाई, जलापूर्ति व स्वच्छता	4701-20-800-02	13.11	13.51	13.51	97	100
14.	13-सिंचाई, जलापूर्ति व स्वच्छता	4702-00-101-06	17.07	17.07	19.64	87	87
15.	20-ग्रामीण विकास	2515-00-101-09	24.45	24.45	24.45	100	100
16.	23-विद्युत विकास	4801-01-190-07	42.25	42.25	42.25	100	100
17.	27-श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	4202-02-104-01	19.50	19.50	19.50	100	100
18.	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना एवं आवास	2217-03-193-02	16.78	16.78	16.78	100	100
19.	29-वित्त	2049-01-101-04 (प्रभारित)	25.56	25.56	25.56	100	100
20.	29-वित्त	2049-60-101-01 (प्रभारित)	20.81	32.00	32.00	65	100
21.	31-जनजातीय विकास	6801-00-796-10	24.68	24.68	24.68	100	100
22.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	2225-01-789-08	45.23	45.23	45.23	100	100
23.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	4702-00-789-06	14.96	15.00	15.00	100	100
24.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	4702-00-789-08	10.32	10.90	10.90	95	100

परिशिष्ट-2.13

(संदर्भः परिच्छेद 2.4.1; पृष्ठ 44)

(i) 2007-12 के लिए सार आकस्मिक तथा विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का वर्ष-वार ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सार आकस्मिक बिल		विस्तृत प्रति हस्ताक्षरित आकस्मिक बिल		सार आकस्मिक बिलों की प्रतिशतता के रूप में विस्तृत प्रति हस्ताक्षरित आकस्मिक बिल	बकाया सार आकस्मिक बिल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि
2007-08	308	4.92	300	1.73	97	8	3.19
2008-09	281	8.29	264	3.48	94	17	4.81
2009-10	233	7.71	210	2.86	90	23	4.85
2010-11	277	9.28	237	3.38	86	40	5.90
2011-12	268	5.24	238	1.23	89	30	4.01
योग	**1367**	**35.44**	**1249**	**12.68**		**118**	**22.76**

(ii) सार आकस्मिक बिलों के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करने में लम्बन की विभाग-वार स्थिति

(₹ में)

क्रमांक	विभाग	सार आकस्मिक बिलों की संख्या	राशि
1.	पशुपालन	26	4,81,63,955
2.	आयुर्वेद	41	14,35,79,500
3.	सहकारिता	2	7,500
4.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	35	3,55,50,517
5.	श्रम एवं रोजगार	6	16,500
6.	भाषा, कला एवं संस्कृति	3	28,578
7.	पंचायती राज	1	8,000
8.	अभियोजन	1	83,550
9.	जनजातीय विकास	1	10,000
10	युवा सेवाएं एवं क्रीड़ा	2	1,84,308
	योग	**118**	**22,76,32,408 अथवा ₹22.76 करोड़**

स्रोत: विभागों द्वारा आपूरित सूचना से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े।

.

परिशिष्ट-2.14

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5; पृष्ठ 45)

31 मार्च 2012 को प्रतिकूल/नकारात्मक शेष को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ में)

मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	खजाना/आहरण एवं संवितरण अधिकारी	अथ शेष	क्रेडिट	डेबिट	अन्त शेष
8443- स्थानीय निधि निक्षेप					
110-पुलिस निधि	डी आई जी (पी) प्रशिक्षण, डरोह	2,43,052	8,58,584	11,51,777	(-) 50,141
8448- स्थानीय निधि निक्षेप					
102-नगरपालिका निधि	एन ए सी, चौपाल	(-) 16,438	--	--	(-) 16,438
8448- स्थानीय निधि निक्षेप					
102- नगरपालिका निधि	एम सी, ऊना	1,22,613	--	1,94,389	(-) 71,776
8448-स्थानीय निधि निक्षेप					
102- नगरपालिका निधि	एन पी, चम्बा	30,078	--	37,879	(-) 7,801
8448-स्थानीय निधि निक्षेप					
109- *पंचायत* निकाय निधि	पी एस, नालागढ़	3,144	--	32,355	(-) 29,211
8448-स्थानीय निधि निक्षेप					
109- *पंचायत* निकाय निधि	पी एस, बैजनाथ	3,03,630	--	3,48,386	(-) 44,756
8448-स्थानीय निधि निक्षेप					
109- *पंचायत* निकाय निधि	पी एस, बंजार	(-) 22,536	--	3,464	(-) 26,000
8448-स्थानीय निधि निक्षेप					
109- *पंचायत* निकाय निधि	पी एस, पांवटा	72,206	--	85,000	(-) 12,794
8448-स्थानीय निधि निक्षेप					
109- *पंचायत* निकाय निधि	पी एस, हमीरपुर	1,44,246	--	1,47,774	(-) 3,528
8449-अन्य निक्षेप					
120-विविध निक्षेप	प्राचार्य, पं0 अमरनाथ स्मारक महाविद्यालय, जोगिन्द्रनगर	15,850	9,07,699	12,50,000	(-) 3,26,451
	योग	**8,95,845**	**17,66,283**	**32,51,024**	**(-) 5,88,896 अथवा ₹(-)5.89लाख**

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: परिच्छेद 3.1; पृष्ठ 51)

31 मार्च 2012 को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

(₹ लाख में)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
			मद संख्या	राशि	मद संख्या	राशि
1	2011-संसद/राज्य/संघ क्षेत्र विधानसभा	2010-11	1	8.23	--	--
			1	**8.23**	**--**	**--**
2	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	2010-11	7	77.18	--	--
			7	**77.18**	**--**	**--**
3	2055- पुलिस	2008-09	1	25.00	1	25.00
		2010-11	1	25.00	1	25.00
			2	**50.00**	**2**	**50.00**
4	2070 - अन्य प्रशासकीय सेवाएं	2009-10	11	221.77	--	--
		2010-11	16	240.27	--	--
			27	**462.04**	**--**	**--**
5	2075- विविध सामान्य सेवाएं	2006-07	9	128.25	4	2.75
		2007-08	18	211.54	9	18.42
		2008-09	17	181.92	6	0.79
		2009-10	13	168.10	4	5.29
		2010-11	9	206.11	3	4.00
			66	**895.92**	**26**	**31.25**
6	2202- सामान्य शिक्षा	2009-10	3185	4574.42	78	210.73
		2010-11	13780	19016.84	5143	17448.17
			16965	**23591.26**	**5221**	**17658.90**
7	2204- क्रीड़ा एवं युवा सेवाएं	2006-07	9	66.38	--	--
		2007-08	10	52.84	--	--
		2008-09	17	254.48	3	1.05
		2009-10	31	490.43	1	2.33
		2010-11	25	777.16	2	277.57
			92	**1641.29**	**6**	**280.95**
8	2205- कला एवं संस्कृति	2005-06	1	16.50	-	--
		2006-07	160	36.74	157	18.57
		2007-08	229	46.55	229	46.55
		2008-09	344	46.56	343	41.76
		2009-10	31	234.44	29	190.80
		2010-11	110	280.39	104	211.21
			875	**661.18**	**862**	**508.89**
	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य					
9	2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2008-09	123	484.98	--	--
		2009-10	504	2973.22	1	412.80
		2010-11	626	3310.91	1	21.60
			1253	**6769.11**	**2**	**434.40**
10	2211-परिवार स्वास्थ्य	2009-10	19	1152.58	19	1152.58
		2010-11	3	1500.00	3	1500.00
			22	**2652.58**	**22**	**2652.58**
	योग (चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य)		**1275**	**9421.69**	**24**	**3086.98**

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
			मद संख्या	राशि	मद संख्या	राशि
	शहरी विकास					
11	2217- शहरी विकास	2007-08	3	400.52	--	--
		2008-09	24	2945.77	21	2872.57
		2009-10	28	6676.00	24	6189.00
		2010-11	53	8051.15	41	3739.15
			108	**18073.44**	**86**	**12800.72**
12	3054- सड़क एवं पुल	2008-09	2	600.00	2	600.00
		2009-10	2	600.00	2	600.00
		2010-11	4	600.00	4	600.00
			8	**1800.00**	**8**	**1800.00**
	योग (शहरी विकास)		**116**	**19873.44**	**94**	**14600.72**
13	2220- सूचना एवं प्रकाशन	2010-11	1	13.38	1	13.38
			1	**13.38**	**1**	**13.38**
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता					
14	2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2006-07	11	607.17	10	599.17
		2007-08	29	974.96	21	719.33
		2008-09	34	1157.93	33	1121.93
		2009-10	34	1670.99	32	1586.99
		2010-11	36	2637.32	34	2497.32
			144	**7048.37**	**130**	**6524.74**
15	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2006-07	40	72.49	18	50.52
		2007-08	52	858.80	50	603.66
		2008-09	100	702.53	98	510.95
		2009-10	204	1089.94	141	707.45
		2010-11	277	1471.22	265	1447.83
			673	**4194.98**	**572**	**3320.41**
16	2250- अन्य सामाजिक सामुदायिक सेवाएं	2009-10	--	--	--	--
		2010-11	1	0.27	1	0.27
			1	**0.27**	**1**	**0.27**
	योग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)		**818**	**11243.62**	**703**	**9845.42**
17	2230- श्रम एवं रोजगार	2009-10	--	--	--	--
		2010-11	1	5.00	-	-
			1	**5.00**	**-**	**-**
	सचिवालय व सामाजिक सेवाएं					
18	3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएं	2009-10	1	3.66	1	3.66
		2010-11	4	28.13	1	7.65
			5	**31.79**	**2**	**11.31**
19	2251 - सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2007-08	2	94.26	--	--
		2008-09	8	275.43	--	--
		2009-10	14	395.81	4	170.57
		2010-11	6	109.03	3	82.01
			30	**874.53**	**7**	**252.58**
	योग (सचिवालय व सामाजिक सेवाएं)		**35**	**906.32**	**9**	**263.89**
20	2401- फसल कृषि	2010-11	10	103.00	1	6.50
			10	**103.00**	**1**	**6.50**

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
			मद संख्या	राशि	मद संख्या	राशि
21	2403- पशुपालन	2007-08	1	50.00	1	50.00
		2008-09	6	116.53	1	7.25
		2009-10	7	105.00	7	105.00
		2010-11	35	2525.22	18	197.74
			49	**2796.75**	**27**	**359.99**
22	2404-दुग्ध विकास	2010-11	8	1144.60	--	--
			8	**1144.60**	**--**	**--**
23	2405- मत्स्य	2010-11	5	13.55	--	--
			5	**13.55**	**--**	**--**
24	2408- खाद्य भण्डारण एवं गोदाम	2010-11	18	33.15	5	19.88
			18	**33.15**	**5**	**19.88**
25	2415- कृषि अनुसंधान व शिक्षा	2008-09	5	283.25	--	--
		2009-10	20	4096.12	--	--
		2010-11	39	11307.01	--	--
			64	**15686.38**	--	--
26	2425- सहकारिता	2009-10	62	13.98	--	--
		2010-11	66	107.04	33	24.56
			128	**121.02**	**33**	**24.56**
ग्रामीण विकास						
27	2216- आवास	2006-07	13	71.51	--	--
		2007-08	49	552.62	6	79.56
		2008-09	76	1202.43	18	398.59
		2009-10	125	2667.52	93	515.60
		2010-11	121	2767.87	65	1176.24
			384	**7261.95**	**182**	**2169.99**
28	2501- विशेष कार्यक्रम	2004-05	2	27.02	--	--
		2005-06	9	61.04	--	--
		2006-07	17	305.69	--	--
		2007-08	58	539.49	6	159.12
		2008-09	108	840.52	18	141.53
		2009-10	161	1262.85	29	406.20
		2010-11	147	1982.81	46	710.52
			502	**5019.42**	**99**	**1417.37**
29	2505- ग्रामीण रोजगार	2004-05	2	55.99	--	--
		2006-07	6	217.35	--	--
		2007-08	5	104.83	--	--
		2008-09	2	816.89	2	816.89
		2009-10	10	3401.53	2	224.04
		2010-11	30	6133.55	--	--
			55	**10730.14**	**4**	**1040.93**
30	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2001-02	151	627.40	--	--
		2002-03	37	1118.52	--	--
		2003-04	73	1020.50	--	--
		2004-05	205	1575.35	--	--
		2005-06	298	1665.33	--	--
		2006-07	302	4111.65	--	--
		2007-08	314	5911.03	--	--
		2008-09	500	11750.00	408	11637.91
		2009-10	713	12638.01	478	10133.60
		2010-11	663	16726.05	605	15945.28
			3256	**57143.84**	**1491**	**37716.79**
	योग (ग्रामीण विकास)		**4197**	**80155.35**	**1776**	**42345.08**
31	2801- विद्युत	2010-11	4	90.00	--	--
			4	**90.00**	**--**	**--**
32	2810- ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत	2010-11	2	126.00	--	--
			2	**126.00**	**--**	**--**

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
			मद संख्या	राशि	मद संख्या	राशि
33	2851- ग्राम एवं लघु उद्योग	2005-06	4	0.21	1	0.03
		2006-07	514	73.54	499	27.99
		2007-08	93	87.56	65	17.38
		2008-09	90	86.01	--	--
		2009-10	117	1042.41	110	1039.44
		2010-11	119	1079.77	110	1076.57
			937	**2369.50**	**785**	**2161.41**
34	3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2010-11	6	174.57	1	13.07
			6	**174.57**	**1**	**13.07**
35	3435- पारिस्थितिकी पर्यावरण	2009-10	1	5.20	1	5.20
		2010-11	6	23.70	--	--
			7	**28.90**	**1**	**5.20**
36	3452- पर्यटन	1998-99	1	137.00	1	137.00
		2008-09	1	45.00	--	--
		2009-10	2	2.00	--	--
		2010-11	7	74.51	7	74.51
			11	**258.51**	**8**	**211.51**
37	3604- स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति व समनुदेशन	2008-09	16	396.58	1	49.59
		2009-10	18	429.35	7	273.52
		2010-11	28	574.67	20	469.09
			62	**1400.60**	**28**	**792.20**
38	2406- वन एवं वन्य प्राणी (वन लेखा)	2007-08	1	4.70	-	-
		2008-09	4	127.28	1	1.20
		2009-10	24	603.36	2	57.01
		2010-11	11	1570.03	5	97.80
			40	**2305.37**	**8**	**156.01**
39	2415-कृषि शोध एवं शिक्षा (वन लेखा)	2009-10	4	25.00	-	-
		2010-11	4	25.00	4	25.00
			8	**50.00**	**4**	**25.00**
	सकल योग		**25837**	**175707.80**	**9625**	**92460.79**

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: परिच्छेद 3.2; पृष्ठ 52)

दुर्विनियोजन, गबन आदि के मामलों का विभागवार तथा अवधिवार ब्यौरा

क्रमांक	विभाग का नाम	5 वर्षों तक		5 से 10 वर्ष		10 से 15 वर्ष		15 से 20 वर्ष		20 से 25 वर्ष		25 वर्षों से अधिक		मामलों की कुल संख्या	
		ग	क	ग	क	ग	क	ग	क	ग	क	ग	क	ग	क
1	शिक्षा	--	--	3	2.90	--	--	--	--	--	--	1	0.59	4	3.49
2	ग्रामीण विकास	1	4.68	1	शून्य	--	--	--	--	--	--	--	--	2	4.68
3	कृषि/बागवानी	2	1.35	2	9.46	--	--	--	--	--	--	--	--	4	10.81
4	भू-राजस्व	--	--	--	--	--	--	1	2.57	--	--	--	--	1	2.57
5	पुलिस	1	0.08	2	1.51	--	--	--	--	--	--	--	--	3	1.59
6	राजस्व	--	--	1	0.31	--	--	--	--	--	--	1	0.02	2	0.33
7	गृह रक्षा	--	--	--	--	2	25.37	--	--	--	--	1	0.05	3	25.42
8	पशुपालन	--	--	1	0.17	--	--	--	--	--	--	2	0.93	3	1.10
9	निदेशक योजना	--	--	1	2.97	--	--	--	--	--	--	--	--	1	2.97
10.	स्वास्थ्य	--	--	1	0.95	--	--	--	--	--	--	--	--	1	0.95
11	वन	1	0.63	1	2.38	--	--	--	--	--	--	2	0.40	4	3.41
12	लोक निर्माण	--	--	--	--	6	7.43	1	1.05	2	0.77	7	2.78	16	12.03
13	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	--	--	1	0.89	2	7.71	--	--	1	0.25	1	0.06	5	8.91
	योग:	**5**	**6.74**	**14**	**21.54**	**10**	**40.51**	**2**	**3.62**	**3**	**1.02**	**15**	**4.83**	**49**	**78.26**

ग: मामलों की संख्या

क: राशि (₹ लाख में)

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: परिच्छेद 3.2; पृष्ठ 52)

चोरी, सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवार/श्रेणीवार ब्यौरा

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
शिक्षा	3	2.90	1	0.59	4	3.49
ग्रामीण विकास	1	4.68	1	0.00	2	4.68
कृषि/बागवानी	1	0.06	3	10.75	4	10.81
भू-राजस्व	--	--	1	2.57	1	2.57
पुलिस	--	--	3	1.59	3	1.59
राजस्व	1	0.31	1	0.02	2	0.33
गृह रक्षा	--	--	3	25.42	3	25.42
पशुपालन	1	0.17	2	0.93	3	1.10
निदेशक योजना	1	2.97	--	--	1	2.97
स्वास्थ्य	--	--	1	0.95	1	0.95
वन	--	--	4	3.41	4	3.41
लोक निर्माण	2	0.77	14	11.26	16	12.03
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	1	0.25	4	8.66	5	8.91
योग:	**11**	**12.11**	**38**	**66.15**	**49**	**78.26**

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3; पृष्ठ 53)

गत तीन वर्षों की मुख्य उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत उचन्त शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2009-10		2010-11		2011-12	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101-वेतन व लेखा कार्यालय-उचन्त	80.64	17.34	25.24	20.24	24.12	15.61
शुद्ध	**63.30** डेबिट		**5.00** डेबिट		**8.51** डेबिट	
102-उचन्त लेखा (सिविल)	8.44	0.42	115.37	99.53	114.34	78.29
शुद्ध	**8.02** डेबिट		**15.84** डेबिट		**36.05** डेबिट	
107-नकद समायोजन उचन्त लेखा	4.38	1.12	3.26	2.42	0.04	0.02
शुद्ध	**3.26** डेबिट		**0.84** डेबिट		**0.02** डेबिट	
109-रिज़र्व बैंक उचन्त-मुख्यालय	(-)12.96	(-) 19.76	(-)1.32	(-)0.10	(-) 0.68	1.19
शुद्ध	**6.80** डेबिट		**1.22** क्रेडिट		**1.87** क्रेडिट	
110-रिज़र्व बैंक उचन्त-केन्द्रीय लेखा कार्यालय	4.17	0.10	4.19	0.20	11.78	0.93
शुद्ध	**4.07** डेबिट		**3.99** डेबिट		**10.85** डेबिट	
112-स्त्रोत पर काटा गया कर उचन्त	91.39	108.50	239.60	269.19	203.84	220.58
शुद्ध	**17.11** क्रेडिट		**29.59** क्रेडिट		**16.74** क्रेडिट	
129-सामग्री क्रय समायोजन उचन्त लेखा	47.66	278.13	58.09	358.47	152.66	372.84
शुद्ध	**230.47 क्रेडिट**		**300.38 क्रेडिट**		**220.18 क्रेडिट**	

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4; पृष्ठ 54)

लघु शीर्ष (₹5.00 करोड़ से अधिक) 800-'अन्य प्राप्तियां' के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष		लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	प्रतिशतता
1.	0040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2227.21	2476.78	89.92
2.	0045	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	174.63	294.97	59.20
3.	0070	अन्य प्रशासकीय सेवाएं	15.13	26.23	57.68
4.	0075	विविध सामान्य सेवाएं	30.88	40.01	77.18
5.	0801	विद्युत	1145.69	1145.69	100.00
6.	0852	उद्योग	6.89	6.89	100.00
7.	1054	सड़कें एवं पुल	10.14	10.25	98.93
योग			**3610.57**	**4000.82**	

परिशिष्ट-4

शब्दावली

क्रम संख्या	शब्द	विवरण
1.	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था शामिल है जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों अर्थात् सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन संस्था तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आदि हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
2.	राज्य सकल घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की कुल आय अथवा श्रम का उपयोग करके उत्पन्न हुई वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य तथा उत्पादन के समस्त अन्य कारकों के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्पलावकता अनुपात	उत्पलावकता अनुपात मूल अस्थिरता में दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की अनुक्रियाशीलता को प्रत्यास्थता अथवा अवस्था को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्पलावकता का अर्थ है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियां 0.6 प्रतिशत बिन्दुओं तक वृद्धि की ओर अभिमुख होगी।
4.	आन्तरिक ऋण	इसमें राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी किये गये बाजार ऋण एवं विशिष्ट प्रतिभूतियां प्रमुख रूप से शामिल हैं।
5.	विकास व्यय	व्यय के आंकड़ो को विकास एवं विकास रहित व्यय में विश्लेषित किया गया है। राजस्व लेखों, पूंजीगत परिव्यय, ऋण एवं अग्रिमों से सम्बद्ध समस्त व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं विकास व्यय का निर्माण करती है जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर विकास व्यय के रूप में निरूपित किया जाता है।
6.	ऋण धारणीयता	ऋण धारणीयता को एक समयावधि में स्थिर ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात का अनुरक्षण करने के लिए राज्य की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है तथा इसकी ऋण व्यवस्था करने की क्षमता के बारे चिन्ता भी अभिव्यक्त करती है। इसलिए ऋण धारणीयता चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल सम्पतियों की पर्याप्तता तथा ऐसे उधारों से होने वाली आय के साथ अतिरिक्त उधारों की लागतों के मध्य संतुलन रखने के लिए क्षमता का उल्लेख भी करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण सेवा के लिए क्षमता में वृद्धि के साथ मेल होना चाहिए।
7.	ऋण स्थिरीकरण	स्थिरता हेतु आवश्यक शर्त स्पष्ट करती हैं कि यदि आर्थिक वृद्धि की दर ब्याज दर अथवा लोक उधार की लागत से अधिक होती है तो ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के स्थिर रहने की सम्भावना है बशर्ते कि प्राथमिक शेष या तो शून्य अथवा धनात्मक अथवा सामान्य रूप से ऋणात्मक है। यदि दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर-ब्याज दर) तथा प्रमात्रा विस्तार (ऋण* दर विस्तार) दिया गया हो तो ऋण धारणीयता स्थिति स्पष्ट करती है कि यदि प्राथमिक घाटे सहित प्रमात्रा विस्तार शून्य है, ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होगा अथवा ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी ओर, यदि प्रमात्रा विस्तार सहित प्राथमिक घाटा ऋणात्मक होता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि होगी तथा यदि यह धनात्मक है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में अन्ततः गिरावट होगी।
8.	ऋण रहित प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	वृद्धिशील ब्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को आवृत्त करने के लिए राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता था यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों वृद्धिशील ब्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।
9.	उधार निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों के प्रति ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है तथा उस सीमा को इंगित करता है जिसके लिए ऋण प्राप्तियों का निवल उधार निधियों की उपलब्धता दर्शाते हुए ऋण विमोचन में उपयोग किया जाता है।
10.	ऋण रहित प्राप्तियां	वृद्धिशील ब्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को आवृत्त करने के लिए राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता था यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों वृद्धिशील ब्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।
11.	गारंटियां	गारंटियां कर्जदार, जिसकी गांरटी दी गई है, द्वारा चूक के मामले में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं है।
12.	उधार निधियां	कुल ऋण प्राप्तियों के प्रति ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है तथा उस सीमा को इंगित करता है जिसके लिए ऋण प्राप्तियों का निवल उधार निधियों की उपलब्धता दर्शाते हुए ऋण विमोचन में उपयोग किया जाता है।